

भाग- III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
इन्दौर से एदलाबाद फोरलेन के निर्माण हेतु

(वनमण्डल खण्डवा 0.938 हे. एवं बड़वाह 3.20 हे.)

प्रस्ताव क्रमांक- FP/MP/ROAD/152561/2022

14	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है, (हाँ/ नहीं) यदि हाँ तो, निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग-II में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है ?	हाँ, सहमत हैं।
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा की अनुशंसा के आधार पर 0.938 हे. एवं वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल बड़वाह की अनुशंसा के आधार पर 3.20 हे. इस प्रकार कुल 4.138 हेक्टर वनभूमि आवेदक को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।

तिथि - 29-07-2022

स्थान - खण्डवा

(आर.पी. चम्य)

मुख्य वन संरक्षक

खण्डवा वृत्त खण्डवा

29/07/22